यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री असीम मिश्रा, व.ले.प, श्री अनूप कुमार गुप्ता, एवं श्री प्रवीण कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.02.2018 से 23.02.2018 तक संपादित किया गया ।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.09.2017 से 29.09.2017 तक श्री के.एल भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 06/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 06/2015 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वानिकी एवं वन्य जीवन को संरक्षित करने के कार्य एवं रूपिन, सुपिन तथा सांकरी रेंज का क्षेत्र।

   (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	3366.471
2016-17	4868.013
2017-18	8898.789

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**आवंटन**		**व्यय**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**0**	**स्थापना**	गैर स्थापना
2015-16	0	0	16496000	24770000	15994429	24048590	0	501571	221410
2016-17	0	0	23985994	30045000	21394102	24429195	0	2591892	5615805
2017-18	0	0	101192000	27646536	68138000	26093137	0	33054000	1553399

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	-	-	शून्य	-	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'B' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह -------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....कोई नहीं.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....कोई नहीं..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

व्यय से सम्बंधित

प्रस्तर-01 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 43(ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रभासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो, साथ ही नियम 30 (3) के अनुसार 10 लाख तक की लागत के आगणन विषयक समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य, विभागध्यक्ष द्वारा स्वयं लोक निर्माण संगठन को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

कार्यालय उप-निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित कमियां पायी गयी।

(i) प्रभाग के E-10 पंजिका के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में ₹21,55,656/- का व्यय निर्माण/ मरम्मत कार्य (सूची)-1 (संलग्न) बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पूर्ण करा दिये गये तथा सम्प्रेक्षा तिथि (परवरी 2019) तक प्रभाग को उपरोक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासनादेश सं0-245/XVII(7) दिनांक 22.11.2012 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को 5 लाख की सीमा तक वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी-कार्यों की स्वीकृती प्राप्त है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त शासनादेश में निर्माण/ मरम्मत कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 30(3) के अनुसार सिर्फ विभागाध्यक्ष को उपरोक्त कार्य कराये जाने का अधिकार है।

(ii) प्रभाग की अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में ₹ 331.01 लाख की लागत के कार्य सूची-2 (संलग्न) बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पूर्ण करा दिये गये थे तथा सम्प्रेक्षा तिथि तक (फरवरी - 2019) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संलग्न सूची वर्णित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त है एवं विभागीय

प्रशासनिक स्वीकृति के लिये इस कार्यालय से अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन वन्य जीव) को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा ₹331.01/- लाख का व्यय किया जा चुका है एवं लेखापरीक्षा तिथि तक सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकरणों में कुल ₹352.56 लाख का व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व से सम्बंधित)

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2 :- जमानत धनराशि जमा न किया जाना ₹2.36 लाख।

कार्यालय उपनिदेशक, गोविंद वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष राशि
1.	श्री रमेश चन्द्र खण्डूरी	वन क्षेत्राधिकारी	50000	0	50000
2.	श्री सब्बल लाल शैलानी	वन क्षेत्राधिकारी	50000	20000	30000
3.	श्री अनिल कुमार रावत	वन क्षेत्राधिकारी	25000	0	25000
4.	श्री संजय सिंह	प्रधान सहायक	1000	0	1000
5.	श्री अनिल कोठारी	वन दरोगा	20000	10000	10000
6.	श्री पदम सिंह	वन दरोगा	20000	0	20000
7.	श्री राजेंद्र सिंह	वन दरोगा	20000	0	20000
8.	श्री जसपाल सिंह	वन दरोगा	20000	0	20000
9.	श्री दिनेश सिंह बिष्ट	वन दरोगा	20000	0	20000
10.	श्री सैदर सिंह	वन दरोगा	20000	10000	10000
11.	श्री चन्द्र किशोर बडोनी	वन आरक्षी	10000	0	10000
12.	श्री दीपक चौहान	वन आरक्षी	10000	0	10000
13.	श्री संगीता बोहरा	वन आरक्षी	10000	5000	5000
14.	श्रीमती सुधा उनियाल	वन आरक्षी	10000	5000	5000
योग			286000	50000	236000

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबन्धित अधिकारी/कर्मचारियो से जमानत राशि जमा कर सूचित किया जाएगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय से सम्बन्धित)

भाग -2(ब)

प्रस्तर-3:- अनियमित व्यय ₹39.12 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के बाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61(2) के अनुसार ₹10,00,000 (रुपये दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु संबन्धित विभाग/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए।

कार्यालय उप निदेशक गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस द्वारा श्रम शक्ति उपलब्ध कराई गयी है तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार कांट्रैक्ट एजेंसी को इसके लिए अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक ₹3912130 का भुगतान किया गया है (सूची संलग्न)। जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस से अनुबंध बिना निविदा के आमंत्रण पर किया गया है। जबकि अनुबंध किए जाने के पूर्व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अंतर्गत निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹3912130 का अनियमित व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि तथ्य एवं आंकड़ो की पुष्टि की गयी है तथा इस विषय में निविदा प्रमुख वन संरक्षक द्वारा पूरे राज्य के लिए आमंत्रित की जाती है। तथापि, इस विषय में कोई भी साक्ष्य उपनिदेशक कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
50/2015-16	-	1,2	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
12/2012-13	-	1,2(क),(ख),3	
50/2015-16	-	1,2,3	1,2
81/2017-18	-	1,2,3	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर0पी0 मिश्रा,	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री वैभव कुमार सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र